राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 49/2021

चन्द्र सिंह भाटी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये मुख्य सचिव प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बीकानेर राजस्थान
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बाडमेर।
4. अतिरिक्त जिला शिक्षरा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर जिला बाडमेर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.07.2021
आदेश की दिनांक : 29.05.2024
<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोपाल आचार्य, अभिभाषक
राजकीय अधिवक्ता : श्री यशवंत मेहता, अभिभाषक

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.11.2019 (अनुलग्नक–8) के द्वारा आगामी एक वार्षिक वेतन संचयी प्रभाव से रोकने से दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 13.11.2019 (अनुलग्नक–8) को अपास्त कर समस्त सेवा परिलाभ दिए जाने का अनुतोष चाहा है।
3. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम–1958 के नियम 16 के तहत् आरोप पत्र जारी कर नियमानुसार आगामी एक वार्षिक वेतन संचयी प्रभाव से रोकने से दण्ड से दण्डित किया गया है। उनका आगे तर्क है कि इस अपील के दण्ड के प्रकरण को सुना जाना अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है।
4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.11.2019 (अनुलग्नक–8) के द्वारा आगामी एक वार्षिक वेतन संचयी प्रभाव से रोकने से दण्ड से दण्डित किया है, इसलिये इस अपील को सुना जाना अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः उक्त अपील अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य